

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किंतु अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :
कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बन्धता/2011/ 4292

दिनांक : 22/12/11

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2011 के पद क्रमांक (31) के निर्णयानुसार प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.बी.ए., बी.बी.ए., बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बन्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

- पुस्तकालय में प्रबंध एवं कम्प्यूटर संबंधी 50-50 शीर्षक क्रय करें।

आदेशानुसार
Zamzam
कुलसंचिव

प्रति,

- प्राचार्य, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, ग्वालियर
- निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, इंदिरा गांधी ऐल परिसर, इन्डप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली
- आयुक्त, मध्यादेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिवित संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसंचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

RJU
सहा.-कुलसंचिव (सम्बन्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पञ्च व्याहार कूलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही ठेका जावे जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यहि पूर्ण में पञ्च
व्याहार हुआ हो तो पञ्च ब्रह्माकार एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



पा.म : (गृनीतिसंबंध)
दूरध्वाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कूलसचिव,

जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ.सम्बन्धता/2009/4503

दिनांक: 31/01/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध प्रेस्टीज, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्वालियर (0751-4097000) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.बी.ए., बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बन्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रवान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442841)

(2) प्रो. एस.के. द्विवेदी, आचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) प्रो. ए.के. हल्चे, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।


निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, गांधिंत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेक्स तथा पिघ्जे सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देती के लिए ग्राहाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना जारीगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुरुणगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धता प्राप्त किए विना ज्ञातों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बन्धता शास्त्र में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जारीगे तथा महाविद्यालय की होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समर्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, संतपुद्धा भवन, भोपाल
4. कुलाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कूलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


कूलसचिव


सहायक कूलसचिव (सम्बन्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बोधित विषय पर यहां पूर्ण में पञ्च
व्यवहार कुआं हो तो पञ्च क्रमांक एवं दिनांक
आवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : गृहीतपुरी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(निवालिय)
2442462 (निवार)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ ५८४७

दिनांक : २१.६.१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02 मई, 2012 के पद क्रमांक (05) के बिषयानुसार प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेजमेंट, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित पी.जी.डी.सी.ए., बी.कॉम. प्रथम वर्ष-प्लॉन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन, पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता लिन्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. परिनियम 28(17) के अन्तर्गत इन विषयों हेतु शिक्षकों को नियुक्त करें।
2. पुस्तकालय में दोनों विषयों के 50-50 शीर्षक ब्रय करें।
3. अनुशोधित सीट संख्या पी.जी.डी.सी.ए. -60, बी.कॉम. -120
4. पाठ्यक्रम संबंधी लीगल साफ्टवेयर ब्रय करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्रावर्य, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेजमेंट, ग्वालियर
2. आमुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, शोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)